तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोरधन पंचारिया बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 94/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोरधन पंचारीया पुत्र भीयाराम पता प्रेक्षा अस्पताल के सामने, राजीव गांधी कॉलानी, पाल लिंक रोड़ जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.04.2019 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 1013 दिनांक 16.07.2018 के अनुसार एवं आदेश श्रीमान् एस.डी.एम. साहब लूणी के आदेश राजस्व प्रकरण संख्या 789 दिनांक 06.09.2017 से खसरा संख्या 554, 590 में खसरा नम्बर 554/1 तथा खसरा संख्या 590/1 कमशः 0.17, 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता दर्ज किया गया है जो गैर मु. रास्ता किन आधारों पर किया गया। उक्त आदेश सहित सम्पूर्ण प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जायें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	